(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2035–तीन/1998 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1998 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 421/1995–96 अपील

शालिगराम द्विवेदी पुत्र तुलसी दास द्विवेदी
ग्राम कामता (चित्रकूट) तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

हरवॅश भूषण तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी
ग्राम कामता (चित्रकूट) तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ————अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 4–10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 421/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–8–1998 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त बरौधा उप तहसील मझगवां सतना के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कामता की आरा नं. 1021/1 ब/1/1 क्षेत्रफल साढ़े सत्ताई डि. का वह भूमिस्वामी है जिसके जुज भाग 25X25 फुट पर आवेदक ने झोंपड़ी बनाकर अतिकमण कर लिया है , अतिकमण हटाया जावे । नायब

नायव तहसीलदार वृत्त बरौधा उप तहसील मझगवां ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 25 अ 60/1994—95 पंजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनॉक 18—1—1996 पारित करके अनावेदक को उक्तांकित भूमि का कब्जा दिलाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 57/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—3—1996 से अपील अमान्य की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 421/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 13—8—1998 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अभिलेख अनुसार यह सही है कि ग्राम कामता की आराजी कमांक 1021/1अ/1/1 रकबा साढ़े सत्ताईस डि. = 0.111 है. का भूमिस्वामी अनावेदक है जिसके जुज भाग 25X25 फुट पर झोपड़ी डालकर आवेदक द्वारा अतिकमण करना नायव तहसीलदार ने जॉच में पाया है। आवेदक को नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 25 अ—70/1994—95 में आदेश दिनॉक 18—1—1996 पारित करने के पूर्व बचाव का समुचित अवसर दिया है किन्तु 25X25 फुट भूमि आवेदक की किस प्रकार है प्रमाणित नहीं कर सका है, जबकि स्थल की स्थिति अनुसार एंव शासकीय अभिलेख अनुसार आराजी कमांक 1021/1अ/1/1 रकबा साढ़े सत्ताईस डि. = 0.111 है.अनावेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की होना पाई गई है जिसके

कारण नायव तहसीलदार वृत्त बरौधा उप तहसील मझगवां ने प्रकरण कमांक 25 अ 60/1994—95 में पारित आदेश दिनॉक 18—1—1996 से आवेदक को बेदखल कर अनावेदक को कब्जा सौंपे जाने के आदेश दिये है । अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 57/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—3—1996 में एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 421/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 13—8—1998 में नायव तहसीलदार के आदेश को इन्ही कारणों से हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/　　उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 421/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 13—8—1998 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर